

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) सत्यनारायण

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

देवीदान डोसानी उनवान
बनाम राजनारायण झाका

दावा बाबत नाम डुरस्ती U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 74/2022

निर्णय दिनांक :- 18.05.2022

वादी की ओर से राम की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.05.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वाली पक्षिका
किमा जकार देवीदान डुरस्ती की जमाबंदी के जार न. 160
जिसका नम्बर 186 पर कठित देवीदान डुरस्ती लालदान के लिये नया
देवीदान डोसानी डुरस्ती लालदान नाम डुरस्ती काने की दोषणा
की जाती है। तदर्थी लकार चूरु उम्मानुसा राजनारायण कोर्ड के इलाक
दरामद करे। अडिहम मे नाम डुरस्ती के लक्ष्य मे डिक्री मे उम्मानुसा
डिक्री की स्थिति में पूर्व नाम की मन्-पट्टा तथा कोई लक्ष्य छुपाके गये इतो
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।
इसी जमाबंदी के लिये यह आज तारीख 18.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



जामा खर्चा 952
18-05-2022